निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड

मि0नं0 28/अपील/18 तारीख दायरा 26.07.2018

उनवान अपील

मोहनलाल आ0 घासीलाल जाति भील नि0 गावडी तहीसील झालरापाटन (अपीलान्ट)

बनाम

01. भूलीबाई पुत्री घासीलाल पत्नि मोतीलाल भील नि0गावडी हाल नि0 गोदाम की तलाई,शिव मन्दिर के पास सिनेमा हाल के पास,झालावाड़

02. बालीबाई पुत्री घासीलाल पत्नि भंवरलाल भील नि0 हाल गिन्दोर,मेन रोड़ के पास झालरापाटन

03. मोहनबाई पुत्री घासीलाल पत्नि गोरधन भील नि0 गावडी,रेल्वे स्टेशन के पास झालावाड़

04. रुकमणी बाई पुत्री घासीलाल पत्नि रत्तीराम भील नि0 छोटी रायपुर तहसील झालरापाटन

05. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन (रेस्पो0).

अपील बनाराजी आदेश फोती इन्तकाल न0 71 दिनांक 29.01.2006 निरस्त किये जाने हेतु।

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र कुमार ठठोदिया अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

--: निर्णय :-- दिनांकः 22.07.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार झालरापाटन के आदेश दिनांक 29.01.2006 जिसके द्वारा ग्राम गावडी तहसील झालरापाटन का नामान्तरण संख्या 71 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकन किया है कि ग्राम गावडी की आराजी ख0न0 25 की 13 बिस्वा,ख0न0 26 की 15 बिस्वा,ख0न0 28 की 05 बिस्वा, ख0न0 29 की 17 बिस्वा, ख0न0 30 की 1 बीघा 03 बिस्वा व ख0न0 31 की 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी कुल किता 6 की 5 बीघा 09 बिस्वा आराजी घासी लाल,श्री किशन व बरदीबाई पिसरान भंवरलाल संभाग दर्ज है अपीलान्ट के पिता घासीलाल की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल संख्या 71 दिनांक 27.06.06 रेस्पो0 1 लगायत 4 पुत्रीयों के नाम खोला गया है विधि विरूद्ध है क्यों कि भील जाति में पुत्रीयों को पुश्तेनी भूमि में विवाहोपरान्त कोई हिस्सा नही होता है। इन्तकाल संख्या 71 का प्रथम बार दिनांक 01.07.2018 को पता चला जब रेस्पो0 1 लगायत 4 ने उनका नाम होना बताकर कब्जा करने के लिये आयी। अपील स्वीकार कर इन्तकाल न0 71 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 2 व 5 की और से अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी का वकालतनाता पेश हुआ किन्तु दौराने सुनवाई रेस्पो0 स्वंय या उनके अभिभाषक उपस्थित नही हुए। रेस्पो0 1 व 3 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.02.2019 को लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्यतः अंकन किया कि कि ग्राम गावडी की आराजी ख0न0 25 की 13 बिस्वा,ख0न0 26 की 15 बिस्वा,ख0न0 28 की 05 बिस्वा, ख0न0 29 की 17 बिस्वा, ख0न0 30 की 1 बीघा 03 बिस्वा व ख0न0 31 की 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी कुल किता 6 की 5 बीघा 09 बिस्वा आराजी घासी लाल,श्री किशन व बरदीबाई पिसरान भंवरलाल संभाग दर्ज थी अपीलान्ट के पिता घासीलाल की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल संख्या 71 विधि विरूद्ध हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानों के विरूद्ध खोला गया है। रेस्पो0 1 लगायत 4 अपीलान्ट की सगी बहने हैं जो कि शादी शुदा हैं एवं अपने पतियों क परिवार के साथ निवास कर रही हैं जो अनुसूचित जन जाति से हैं जिनमें व्यक्तिगत कानून के प्रावधान लागू होते हैं,भील समाज में पुत्रीयों या बहिनों को कृषि भूमि में कोई वेधानिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते हैं, इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय दृष्टान्त माधोलाल बनाम सरकार आरआरडी पेज 361 के अनुसार न्याय निर्णय पारित किया गया है कि हिन्दु उत्तराधिकार कानून 1950 के प्रावधान अनुसूचित जन जाति पर लागू नही होते हैं(प्रति प्रस्तुत की गई) इन्तकाल में रेस्पो0 1 लगायत 4 का नाम जनरल जाति के अनुसार खोल कर भारी विधिक भूल की

जिला कलक्टर
झालावाड़

है। इन्तकाल के ज्ञान से अपील अवधि मध्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत की हैं पुराने हिन्दु विधि की आर्टिकल 267 के अनुसार भी पुत्रीयों को कोई अधिकार नही होने के कारण इन्तकाल संख्या 71 निरस्त कर रेस्पो0 1 लगायत 4 का नाम डिलीट कर फोती इन्तकाल मात्र मोहन लाल के नाम खोला जावे।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों व लिखित बहस की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा तस्दीक इन्तकाल न0 71 विधि विरूद्ध है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जन जाति पर लागू नही होते हैं । रेस्पो0 1 लगायत 4 के नाम तस्दीक इन्तकाल निरस्त कर रेस्पो0 का नाम डिलीट कर नवीन इन्तकाल तस्दीक किया जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त कि अपील मियाद बाहर है अपीलान्ट के पक्ष में उपरोक्तानुसार आराजी की सह खातेदार बरदीबाई द्वारा जर्ये रिलीज डीड अपीलान्ट के खाते दर्ज करने की स्वीकृति होने पर इन्तकाल न0 80 दिनांक 28.03.2007 को तस्दीक किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। इस प्रकरण का मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की मृत्यु पश्चात उसकी सम्पत्ति में लड़कियों को विरासतन कोई अधिकार प्राप्त है यां नही? सर्वप्रथम प्रकरण के अवलोकन से पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी सं0 2062–65 के अनुसार पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किये गये कथन को बल मिलता है क्यों कि वादग्रस्त आराजी की सयुंक्त खातेदार बरदी बाई द्वारा अपने हिस्से की आराजी को जर्ये रिलीज डीड अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृति दी जाने पर इन्तकाल न0 80 तस्दीक होने का अंकन है। इस प्रकार अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी होना तो जाहिर है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण देरी से तो प्रस्तुत हुआ है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विवादित इन्तकाल के द्वारा अपीलान्ट के अधिकारो का हनन हो रहा है अतः अपील का निर्णय मियाद के बिन्दु पर नही करते हुए इसे मेरिट पर निस्तारित किया जाना उचित है। प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय से पूर्व आरआरटी 2016(2) 1437 बाबूलाल बनाम रामसिंह निर्णय 03.08.2015 का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की मृत्यु पश्चात उसकी सम्पत्ति में लड़कियों को कोई अधिकार प्राप्त नही है । इसी क्रम में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) ' **Hindu Succession Act,1956 is hereby reproduced as under:- Notwithstanding anything contained in sub-section(1),nothing contained in this act shall apply to the member of any Scheduled Tribe within the meaning of clause(25) of Article 366 of the Constitution Unless the Central Government, by notification in the Official GaZette, otherwise direct.** ' का अवलोकन किया गया, हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना प्रस्तुत नही की गई है, जिससे प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित किया है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार झालरापाटन द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 71 जो दिनांक 29.01.2006 को तस्दीक किया गया विधि अनुरूप विदित नही होता है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है व तहसीलदार झालरापाटन को निर्देशित किया जाता है कि नियमों के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार बाद जांच नवीन इन्तकाल तस्दीक किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय(भूमिधारी तहसीलदार) को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़